सं0सं0–9 / आ0–1–56 / 2018

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!! संकल्प !!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डा0 मो0 ओकैश, आवासीय शल्य चिकित्सक, नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना** के पदस्थापन काल में गंभीर अनियमितता बरती गयी है, जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है । इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त डा0 मो0 ओकैश, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उपबंध में वर्णित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(b) के तहत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए ।

2– विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन **डा0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता, अपर निदेशक (आपदा), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी** नियुक्त किया जाता है ।

3– डा0 मो0 ओकैश, आवासीय शल्य चिकित्सक, नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना सम्प्रति सेवानिवृत से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वयं उपस्थित हों ।

4– इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की सहमति प्राप्त है ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी / उपस्थापन पदाधिकारी / आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

22.10.18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 9 / आ0–4–12 / 2017– / स्वा0, पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित डा0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता, अपर निदेशक (आपदा), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना (संचालन पदाधिकारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

22.10.18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 9 / आ0–4–12 / 2017– / स्वा0, पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

22.10.18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 9 / आ0–4–12 / 2017– 1176(9) / स्वा0, पटना, दिनांक :– 22/10/2018

प्रतिलिपि :– डा0 डा0 मो0 ओकैश, आवासीय शल्य चिकित्सक, नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

22.10.18

सरकार के उप सचिव।

अनुबंध

1. आरोपित पदाधिकारी का नाम	–	डा0 मो0 ओकैश
2. पदनाम	–	आवासीय शल्य चिकित्सक
3. पदस्थापन स्थान	–	नालंदा मेडकल कॉलेज, पटना
4. वेतनमान	–	....
5. जन्मतिथि	–	01.01.1951
6. सेवानिवृति	–	31.12.2017

आरोप

1. आपको **विभागीय अधिसूचना सं0 1572(3) दिनांक** 08.11.90 **द्वारा बाह्य सेवा शर्त** के आधार पर सउदी अरब सरकार के यहाँ एक वर्ष के लिए कार्य करने का अनुमति दी गई थी। आप **दिनांक 19.11.1990 से 12.11.1995 तक सउदी अरब में कार्यरत रहें और तत्पश्चात् दिनांक 13.11.1995 को योगदान** हेतु आवेदन विभाग को दिया गया। किंतु आपके द्वारा अपने पदस्थापन के लिए कोई प्रयास किया गया हो, ऐसा कोई साक्ष्य उपलबध नहीं कराया गया।

2. **दिनांक 13.11.1995 के बाद आपके द्वारा न तो विभाग में अपनी उपस्थिति** दर्ज की गई न ही विभाग के सम्पर्क में रहा गया।

3. **दिनांक 08.11.1990 से एक वर्ष अर्थात 07.11.1991 तक** आपको सउदी अरब में रहकर **दिनांक 08.11.1991 को विभाग में योगदान देना** था, परन्तु आपके द्वारा ऐसा नहीं कर **13.11.1995 को विभाग में योगदान** दिया गया। आप **दिनाक 08.11.1991 से 12.11.1995 तक** आप अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहें है। इसके पश्चात् **दिनांक 13.11.1995 को योगदान देकर 31.12.2017 तक आप अनाधिकृत रूप** से अनुपस्थित रहे।

4. यह आपकी **अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता,** लापरवाही एवं गलत मंशा से द्योतक है। **इसके** लिए **आप** वृहत् दंड के भागी है।

सरकार के उप सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

साक्ष्य तालिका:–

1. संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना
के ज्ञापांक 1572(3) दिनांक 18.11.1990

22

सं0-3/एल|-1-62/90 /स्वा0

बिहार सरकार

स्वास्थ्य, चि0शि0 एवं प0क0 विभाग

प्रेषक,

श्री डी0चक्रवर्ती,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,
पटना-7

पटना, दिनांक-

विषय:- डा0 मोहम्मद [illegible], अवकाशीय शल्य चिकित्सक, (सर्जरी विभाग) नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पटना को विदेश जाने हेतु कार्य विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके ज्ञापांक-2725 दिनांक-18-9-90 के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सरकार ने डा0 मोहम्मद [illegible] को बाह्य सेवा शर्त के आधार पर सउदी अरब सरकार के यहाँ कार्य करने हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-267 के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए कार्य करने हेतु अनुमति दी है। डा0 मोहम्मद [illegible] बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 16 तथा वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1[illegible] दिनांक-6-12-68 तथा 4976 वि0 दिनांक 8-7-86 के अनुसार पेंशन अंशदान स्वयं वहन करेंगे तथा इस अवधि में अर्जित अवकाश की गणना उनके अवकाश लेखा में नहीं की जायेगी तथा यह अवकाश असाधारण होगी। उपर्युक्त शर्त के साथ कार्य विरमित होने की तिथि से एक वर्ष के लिए अनुमति दी जाती है।

अतः आपसे कहना है कि डा0 मो0[illegible] को कार्य विरमित कर प्रभार प्रतिवेदन शीघ्र भेजें।

विश्वासभाजन,

ह0-डी0चक्रवर्ती,
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 95(62)/3 स्वा0, पटना, दिनांक- [illegible]

प्रतिलिपि अवर सचिव, वित्त विभाग (वे0दा0नि0को0) निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि डा0मो0[illegible], अवकाशीय शल्य चिकित्सक (सर्जरी विभाग) नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/ए0-2/17 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।